

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर

प्रथम तल, ब्लॉक 03 डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर जयपुर -302015

## कार्यालय आदेश

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा वीकानेरके पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2018/208 दिनांक 28.09.19 की पालना में निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं।

सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान को निर्दिष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

क.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	कहाँ से	कहाँ को
01	वृजेश कुमार	प्रयोगशाला सहायक	राउमावि0 पौद्वार जयपुर	राउमावि0 बोरज (दूद) जयपुर

नोट:- उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवें कि :-

01. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।

02. प्रोवेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

03. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर वीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्योरुपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

04. कार्यमुक्त/कार्यग्रहण अनिवार्यतः शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जावे।

(रामचन्द्र पिलानिया)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर

दिनांक 28.09.19

क्रमांक:- जिशिअ./मा/मुख्या/जयपुर/संस्थापन/फा-स्थानान्तरण/49/2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।

02. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर।

03. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।

04. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर।

05. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....

06. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक

07. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर